

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.17(24)नविवि/नियम/2021

जयपुर, दिनांक: 12-02-2025

आदेश

स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक PSKS/अभियान-21/डीएलबी /2021/18140-18352 दिनांक 10.09.2021 में उल्लेखित मानदण्डों व सुविधाओं के साथ ही डिजिटल प्रारूप में डिजिटल ई-पट्टा व्यवस्था लागू करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(रवि विजय)  
शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उप सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण।
6. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
7. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
8. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उपविधि परामर्शी, नविवि।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक, नविवि।
10. सहाय लेखाधिकारी-प्रथम, नविवि।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

शासन उप सचिव-प्रथम

Signature valid

Digitally signed by Ravi Vijay  
Designation: Deputy Secretary To  
Government  
Date: 2025.02.12 05:15:30 IST  
Reason: Approved

